रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्लू० पी०—41

(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 18 जनवरी, 1997 ई० (पौष 28, 1918 शक संवत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ।

नगर विकास विभाग

23 दिसम्बर, 1996 ई०

सं0 4435/9-3-96--220 डब्लू-96--उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) की धारा 112-क, सं0 प्रा0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0 प्रा0 अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 296 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के साथ पठित और उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43 सन् 1975) की धारा 27--क के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या 1682/9-3-86-248 डब्लू-84, दिनांक 18 जून, 1986 का अतिक्रमण करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, जिसे उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 540 की उपधारा (2) और सं0 प्रा0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 300 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सरकारी अधिसूचना संख्या 104/9--3-220 डब्लू-96, दिनांक 9 सितम्बर, 1996 के अधीन पहले प्रकाशित किया जा चुका है ।

उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जलकल अभियन्त्रण (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1996

भाग-1---सामान्य

1---संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ---(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जलकल अभियन्त्रण (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1996 कही जायेगी ।

(2) यह उत्तर प्रदेश में समस्त नगर निगमों, नगरपालिका परिषदों और जल संस्थानों पर लागू होगी ।

(3) गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

2---परिभाषाएं---यदि विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में---

(एक) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य राज्य सरकार से है,

(दो) "केन्द्रीयित सेवा" का तात्पर्य नियम 3 के अधीन सृजित की गई जल संस्थानों और निगमों और नगरपालिका परिषदों के जलकलों की सामान्य सेवाओं से है ।

(तीन) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाता हो,

(चार) नगर निगमों, नगरपालिका परिषदों और जज संस्थानों में व "क" "ख" और "ग" के जलकल का तात्पर्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस प्रकार विनिर्दिष्ट उपक्रमों से है ।

(पांच) "श्रेणी एक, दो, तीन या चार की नगरपालिका परिषदों" का तात्पर्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस प्रकार विनिर्दिष्ट नगरपालिका परिषदों से है,

(छः) "आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है,

(सात) "संविधान" का तात्पर्य "भारत के संविधान" से है,

(आठ) "निगम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 4 के अधीन गठित नगर निगम से है,

(नौ) "सीधी भर्ती" का तात्पर्य इस नियमावली के भाग पांच में विहित रीति से की गई भर्ती से है,

(दस) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है,

(ग्यारह) "सामान्य संवर्ग" का तात्पर्य केन्द्रीयित सेवाओं में पदों के संवर्ग से है जो पालिका पर्वतीय उप संवर्ग में सम्मिलित नहीं है,

(बारह) "जल संस्थानों," का तात्पर्य उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा 18 के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित जल संस्थानों से है,

(तेरह) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य इस नियमावली के अधी केन्द्रीयित सेवा के संवर्ग में किसी पद के प्रति आमेलित या नियुक्त व्यक्ति से है,

(चौदह) "अधिकारियों" का तात्पर्य नियम 3 के अधीन केन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों से है,

(पन्द्रह) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियो और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है,

(सोलह) "पालिका" का तात्पर्य, यथा स्थिति किसी नगर निगम या नगरपालिका परिषद से है,

(सत्रह) "पालिका पर्वतीय उप संवर्ग" का तात्पर्य नियम 4 के अधीन गठित पालिका पर्वतीय उप संवर्ग से है;

(अठारह) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है, और

(उन्नीस) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो ।

भाग-2--संवर्ग और सदस्य संख्या

3--केन्द्रीयित सेवाओं का गठन--पालिकाओं और जल संस्थानों में निम्नलिखित केन्द्रीयित सेवायें होंगी और सेवाओं में उनके सामने उल्लिखित पद होंगे :

(1) उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जलकल अभियंत्रण (वरिष्ठ) सेवा ..	(एक) नगर निगमों के नगर अभियंता (जल) । (दो) जल संस्थानों के महाप्रबन्धक । (तीन) अधिशासी अभियन्ता । (चार) सहायक अभियन्ता ।
(2) उत्तर प्रदेश पलिका और जल संस्थान अभियन्त्रण (अधीनस्थ) सेवा ..	(एक) अवर अभियन्ता श्रेणी एक । (दो) अवर अभियन्ता ।

स्पष्टीकरण--(1) नीचे स्तम्भ-1 में उल्लिखित सेवाओं के पदों पर आमेलित अधिकारी अपने आमेलन के दिनांक से इन पदों के सामने स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के पदों पर आमेलित समझे जायेंगे :

	स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
(1) उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जलकल अभियन्त्रण (वरिष्ठ) सेवा ..	(1) अधिशासी अभियन्ता	नगरपालिका परिषदों और जल संस्थानों के "क" श्रेणी के के उपक्रमों जलकल अभियन्ता ।
	(2) सहायक अभियन्ता	नगरपालिका परिषद के और जल संस्थानों "ख" श्रेणी के उपक्रमों के जलकल अभियन्ता या सहायक जल अभियन्ता (अर्ह)
(2) उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान, जलकल अभियन्त्रण (अधीनस्थ) सेवा	(3) अवर अभियन्ता श्रेणी-एक	(1) नगरपालिका परिषदों और जल संस्थानों के "ग" श्रेणी के उपक्रमों जलकल अभियन्ता (अर्ह)

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
	(2) मुख्य मीटर निरीक्षक (3) मुख्य पाइप लाइन निरीक्षक। (4) मुख्य जोनल निरीक्षक (5) मुख्य वेस्ट डिटेक्शन निरीक्षक।
(2) अवर अभियन्ता	पाइप लाइन निरीक्षक।

4--वेतन सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये।

5--सेवा की सदस्य संख्या--(1) नियम 3 के अधीन सृजित प्रत्येक केन्द्रीयित सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार समय-समय पर नियत करे।

(2) जब तक सरकार पदों की संख्या अवधारित न करे जैसा कि उपनियम (1) के अधीन परिकल्पित है, सेवा में पदों की वर्तमान सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी नगर निगमों, सभी श्रेणियों की नगरपालिका परिषदों और जल संस्थानों के अधीन दिनांक 12 दिसम्बर, 1983 को पद विद्यमान थे, तथा उस दिनांक के पश्चात् ऐसे पद जो शासन के अनुमोदन से सृजित हुये।

(3) नगर निगमों, नगरपालिका परिषदों और जल संस्थानों की केन्द्रीयित सेवाओं के अधीन किसी भी वर्तमान पद को, या किसी ऐसे पद को जो भविष्य में सृजित किया जाये, समाप्त करने का कोई अधिकार न होगा।

भाग तीन--भर्ती का स्रोत और आमेलन

6--भर्ती का स्रोत--नियम 7 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए--

(एक) अनुसूची-एक में उल्लिखित पद नियम 20 में दी गई रीति से पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे;

(दो) अनुसूची-दो में उल्लिखित पद भाग पांच में दी गई रीति से सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे;

(तीन) अनुसूची-तीन में उल्लिखित पद ऊपर उल्लिखित दोनों स्रोतों और रीति से बराबर-बराबर संख्या में भरे जायेंगे किन्तु इस प्रकार कि शेषपद, यदि कोई हो, पदोन्नति द्वारा भरा जायगा :

परन्तु यदि इस उपनियम के अधीन यथास्थिति पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा भर्ती के लिये अपेक्षित संख्या में उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो कमी की पूर्ति उक्त दोनों स्रोतों में से किसी भी स्रोत से की जा सकती है या सरकार के अधीन कार्य करने वाले अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति करके अस्थायी नियुक्ति की जा सकती है :

परन्तु यह और कि अनुसूची-तीन में उल्लिखित सहायक अभियंता के पदों के सम्बन्ध में पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में से 5 प्रतिरिक्तियां ऐसे अवर अभियन्ताओं में से भरी जायेंगी, जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था से अभियांत्रिकी स्नातक की उपाधि हो, या जो इन्स्टीट्यूट आफ इंजीनियर्स के ऐसोसिएट मेम्बर हों।

7--आमेलन--(1) इस नियमावली के प्रारम्भ के ठीक पूर्व पालिका और जल संस्थान के ऐसे अधिकारियों और सेवकों का, जो नियम 3 में निर्दिष्ट पद धारण कर रहे हों या उस पद के कर्तव्यों का पालन और कृत्यों का निर्वहन कर रहे हों, आमेलन या उनकी सेवा की समाप्ति निम्नलिखित उपबन्धों द्वारा नियंत्रित होगी--

[एक] पालिकाओं और जल संस्थानों के ऐसे अधिकारी और सेवक जो नियम 3 में उल्लिखित किसी सेवा में कोई पद धारण कर रहे हों, जबकि वे अन्यथा विकल्प न करें, ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुये, जैसा सरकार प्रत्येक मामले में पारित करे, अन्तिम रूप से आमेलित हो जायेंगे।

[दो] ऐसे अधिकारी और सेवक जो खण्ड (एक) के अधीन अन्तिम रूप से आमेलित किये जायें, सरकार के अनुवर्ती आदेशों द्वारा जिसे 31 दिसम्बर, 1986 के पूर्व पारित किया जायेगा, यदि उपयुक्त पाये जायं, अन्तिम रूप से आमेलित कर लिये जायेंगे।

[तीन] यदि किसी मामले में खण्ड (दो) में उल्लिखित दिनांक से पूर्व सरकार द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाये तो अधिकारी या सेवक को अन्तिम रूप से आमेलित समझा जायेगा ।

[चार] ऐसे अधिकारियों और सेवकों का जिनको पूर्ववर्ती खण्डों में नियमित किया गया है और जो आमेलन का विकल्प न करे और इन अधिकारियों और सेवकों का भी, जो आमेलन के लिये अनुपयुक्त पाये जायें, सेवायें समाप्त हो जायेंगी और उन्हें उनके किये ऐसी छुट्टी, पेन्शन, भविष्य निधि या उपादान के किसी दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो वे यदि यह नियमावली न बन गयी हो तो, यथास्थिति, अपनी सेवा–निवृत्ति या सेवा समाप्ति पर लेने–पाने के हकदार होते, निम्नलिखित प्रतिकर के हकदार होंगे––

(अ) स्थायी अधिकारियों या सेवको को––

[क] उनकी सेवा की शेष अवधि के वेतन के बराबर धनराशि या

[ख] उन अधिकारियों और सेवकों की स्थिति में जिनकी इस नियमावली के प्रारम्भ के ठीक पूर्व कुल निरन्तर सेवा दस वर्ष से अधिक हो, छः मास के वेतन के बराबर धनराशि और उन अधिकारियों और सेवको की स्थिति में जिनकी उपर्युक्त के अनुसार निरन्तर कुल सेवा दो वर्ष से अधिक न हो, तीन मास के वेतन के बराबर धनराशि, इनमें से जो भी कम हो ।

(आ) खण्ड (क) में उल्लिखित अधिकारियों और सेवकों से भिन्न अधिकारियों और सेवकों को एक मास के वेतन के बराबर धनराशि ।

स्पष्टीकरण––खण्ड (एक) में निर्दिष्ट ऐसे स्थायी अधिकारियों और सेवकों को जिनकी सेवायें इस खण्ड के अधीन समाप्त हो जायें, अनुमन्य पेन्शन या उपादान की, यदि कोई हो, गणना करने के प्रयोजन के लिये पेन्शन या उपादान की अर्हता प्राप्त करने के उनकी सेवा में निम्नलिखित अवधि बढ़ा दी गयी समझी जायेगी––

पेन्शन या उपादान की अर्हता प्राप्त करने के लिए सेवाकाल	अवधि जो बढ़ा दी जायेगी
(एक) पांच वर्ष तक	एक वर्ष
(दो) पांच वर्ष से अधिक और दस वर्ष तक	दो वर्ष
(तीन) दस वर्ष से अधिक और पन्द्रह वर्ष तक	तीन वर्ष
(चार) पन्द्रह वर्ष से अधिक	चार वर्ष

स्पष्टीकरण दो––इस खंड के प्रयोजन के लिए "वेतन" के अन्तर्गत कोई महंगाई भत्ता या अन्तरिम सहायता के रूप में कोई अन्य तदर्थ वृद्धि, जो अनुमन्य हो, भी है ।

[पांच] खंड (चार) में उल्लिखित प्रतिकर का भुगतान, उस पालिका या जल संस्थान द्वारा, जिसके अधीन अधिकारी या सेवक इस नियमावली के प्रारम्भ के ठीक पूर्व नियोजित था, किया जायेगा ।

[छः] खंड (एक) में उल्लिखित विकल्प का प्रयोग 31 अक्तूबर, 1986 के पूर्व किसी भी समय किया जा सकता है और उसके प्रयोग की सूचना सरकार को भेजी जायेगी जब तक इसके प्रतिकूल विकल्प का प्रयोग न किया जाये, अधिकारी या सेवक पूर्ववर्ती खंडों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अनन्तिम रूप से आमेलित हो जायेंगे ।

8––अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व––अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के अनुसार होगा ।

भाग चार––अर्हतायें

9––केन्द्रीयित सेवाओं में किसी पद पर भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी को निम्नलिखित होना आवश्यक है––

(क) भारत का नागरिक; या

(ख) सिक्किम की प्रजा; या

[(ग) कोई तिब्बती जो भारत में स्थायी रूप से बस जाने के विचार से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आया हो; या

(घ) भारतीय उद्भव का कोई व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से बस जाने के विचार से पाकिस्तान से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त वर्ग (ग) या (घ) के किसी अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति अर्ह होना चाहिए जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि वर्ग (ग) के किसी अभ्यर्थी से ऐसा पात्रता प्रमाण-पत्र मान्य करने की अपेक्षा की जायेगी जो उप पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदान किया गया हो:

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त वर्ग (घ) का हो, तो पात्रता प्रमाण-पत्र उसकी नियुक्ति के दिनांक से केवल एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा । उसके बाद वह सेवा में केवल तभी रखा जायेगा जब वह भारत का नागरिक हो जाय ।

10--आयु--केन्द्रीयित सेवाओं में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस वर्ष जिसमें भर्ती की जाय, के ठीक पश्चात्वर्ती वर्ष की पहली जनवरी को 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और 32 वर्ष की आयु न पूरी की हो :

परन्तु यह कि--

(1) किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जिसने यथास्थिति, किसी भी केन्द्रीयित सेवा या पालिका या जल संस्थान की किसी सेवा में एक वर्ष या उससे अधिक की सेवा कर ली हो; अधिकतम आयु निरन्तर सेवा अथवा 7 वर्ष इसमें जो भी कम हो, की सीमा तक अधिक होगी,

(2) यदि कोई अभ्यर्थी जो अपनी आयु के आधार पर किसी ऐसे वर्ष में चयन में उपस्थित होने के लिए हकदार था, जिसमें कोई चयन नहीं किया गया हो तो वह अपनी आयु के आधार पर ठीक पश्चात्वर्ती चयन में उपस्थित होने के लिए हकदार समझा जायगा,

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष अधिक होगी,

(4) राज्य सरकार किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस नियम में विहित अधिकतम आयु सीमा को किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के वर्ग के पक्ष में शिथिल कर सकती है, यदि वह उचित व्यवहार के हित में या लोक हित में आवश्यक समझे ।

11--चरित्र--(1) नियुक्ति प्राधिकारी अपना समाधान कर लेगा कि नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का चरित्र इस प्रकार का है कि उसके कारण वह केन्द्रीयित सेवाओं में सेवायोजना के लिये सभी प्रकार उपयुक्त हो ।

(2) भर्ती के लिये प्रत्येक अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उस संस्था के, जिसमें वह अन्तिम बार पढ़ा हो, मुख्य अध्यक्ष का और दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों का (जो अभ्यर्थी के सम्बन्धी न हों) चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें जो राज्य सरकार या संघ की सक्रिय सेवा में हों और जो उनके निजी जीवन से भली-भांति परिचित हों, किन्तु उनके विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के जीवन से सम्बन्धित न हों, ।

12--शारीरिक स्वस्थता--केन्द्रीयित सेवाओं में किसी पद पर मौलिक रूप से किसी व्यक्ति को तब तक नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि वह मानसिक और शारीरिक रूप में स्वस्थ न हो और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिससे उसे अपने सरकारी कार्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो । प्रवर सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पहले किसी अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह राज्य चिकित्सा परिषद के सामने चिकित्सकीय परीक्षण के लिए उपस्थित हो :

परन्तु यह कि अधीनस्थ सेवा में पदों पर भर्ती के लिए अनुमोदित व्यक्ति से यह अपेक्षा की जायगी कि वह शारीरिक स्वस्थता के विषय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से एक चिकित्सीय प्रमाण-पत्र प्राप्त करे ।

13--अर्हतायें--केन्द्रीयित सेवाओं के अन्तर्गत किसी पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी की ऐसी अर्हतायें होनी चाहिये जैसी राज्य सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

14--अधिमान्य अर्हतायें--अन्य बातों के समान होने पर केन्द्रीयित सेवाओं में सीधी भर्ती की दशा में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायगा जिसने (1) प्रादेशिक सेवा में कम से कम दो वर्ष तक सेवा की हो, या (2) नेशनल कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो ।

15--वैवाहिक प्रास्थिति--कोई पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों अथवा कोई महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, केन्द्रीयित सेवाओं में भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह कि यदि सरकार का यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने लिए विशेष कारण है तो वह किसी व्यक्ति के इस नियम के उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

भाग पांच--सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया

16--रिक्तियों की संख्या की सूचना देना--सरकार आयोग को वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 8 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगी और आयोग को सूचित करेगी ।

17--प्रार्थना-पत्र--(क) केन्द्रीयित सेवाओं में भर्ती के लिए प्रार्थना-पत्र आयोग द्वारा आमंत्रित किये जायग और वे विहित प्रपत्र में दिये जायेंगे जो आयोग के सचिव से भुगतान करने पर प्राप्त किये जा सकते हैं और वे ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत किये जायेंगे जो विनिर्दिष्ट किया जाय ।

(ख) केन्द्रीयित सेवाओं में पहले से सेवायोजित अभ्यर्थी अपने प्रार्थना-पत्र उचित माध्यम से सरकार को प्रस्तुत करेंगे जो उन्हें अपनी सामयिक रिपोर्ट सहित आयोग को भेज देगी ।

18--आवेदन की संवीक्षा, साक्षात्कार आदि--केन्द्रीयित सेवाओं के पदों पर भर्ती, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जायेगी । आयोग प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की संवीक्षा करेगा और अर्ह अभ्यर्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा देगा । किसी भी अभ्यर्थी को तब तक परीक्षा में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा दिया गया प्रवेश का प्रमाण-पत्र न हो ।

अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक सारणी-बद्ध कर लिये जाने के पश्चात आयोग उतने अभ्यार्थियों को व्यक्तित्व परीक्षा के लिए बुलायेगा जिन्होंने लिखित परीक्षा में सेवा के लिए अपनी उपयोगिता प्रदर्शित की हो । व्यक्तित्व परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गए अंक उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ दिये जायेंगे और उक्त दोनों अंकों के योग से योग्यता-क्रम को निर्धारित किया जायेगा ।

आयोग नियम 8 के अधीन अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों के आरक्षण से सम्बद्ध उपबन्ध के अधीन रहते हुए, अभ्यर्थियों की एक सूची अधिमान-क्रम से तयार करेगा और उसे सरकार के पास भेज देगा, इस सूची में नामों का संख्या घोषित रिक्तियों की संख्या से कुछ अधिक होगी ।

यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियो को योग में समान अंक प्राप्त हुए हों तो आयोग उनके नामों को सेवा के लिए उनकी सामान्य उपयोगिता के आधार पर योग्यता-क्रम में रखेगा ।

19--फीस--(1) सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी, आयोग को और चिकित्सा परिषद् को ऐसी फीस का भुगतान करेगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जाये । फीस की वापसी के लिए कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

(2) प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में पाठ्य विवरण और नियम सरकार के अनुमोदन से आयोग द्वारा समय-समय पर विहित किये जायेंगे ।

20--अनुमोदित सूची--नियम 18 के अधीन आयोग द्वारा तैयार की गयी सूची प्राप्त होने पर सरकार नियम 8, 11 तथा 21 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये एक प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थी के नाम उसी क्रम में दर्ज करायेगी जिस क्रम से आयोग ने नियुक्ति के लिए उनके नामों की सिफारिश की हो ।

भाग छः--पदोन्नति की प्रक्रिया

21--पदोन्नति--(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती एक चयन समिति के माध्यम से उसी केन्द्रीयित सेवा के ठीक निम्न पद क्रम के सभी पात्र अधिकारियों में से ज्येष्ठता के आधार पर, किन्तु अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए की जायेगी और इस प्रयोजन के लिए अधिकारियों की एक पात्रता सूची उप नियम (2) में दी गयी रीति में तैयार की जायेगी ।

(2) उप नियम (7) में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय सरकार ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी, जिसे पात्रता सूची कहा जायगा, जिसमें यथा सम्भव निम्नलिखित अनुपात में नाम होंगे—

1 से 5 रिक्तियों के लिए—रिक्तियों की संख्या का दो गुना किन्तु कम से कम 5,

5 से अधिक रिक्तियों के लिए—रिक्तियों की संख्या का 1 1/2 (डेढ़) गुना किन्तु कम से कम 10।

परन्तु यदि भर्ती एक से अधिक वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों के लिए की जानी हो, तो ऐसे प्रत्येक वर्ष के सम्बन्ध में पृथक पात्रता सूचियां तैयार की जायेंगी। ऐसे मामले में भर्ती के द्वितीय और अनुवर्ती वर्षों के लिए पात्रता सूची तैयार करते समय पात्रता सूची में सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निम्नलिखित होगी—

(क) द्वितीय वर्ष के लिए उक्त अनुपात के अनुसार, जिसमें प्रथम और द्वितीय वर्षों की रिक्तियों की संख्या को जोड़ दिया जायेगा:

(ख) तृतीय वर्ष के लिए उक्त अनुपात के अनुसार, जिसमें प्रथम और द्वितीय वर्षों की रिक्तियों की संख्या को जोड़ दिया जायेगा:

परन्तु यह और कि ऐसे अभ्यर्थियों को जो प्रथम दृष्ट्या पदोन्नति के लिए उपयुक्त न समझे जायें, उक्त अनुपात की गणना करने में सम्मिलित नहीं किया जायेगा और इस आशय की एक टिप्पणी, कि उन पर इस प्रकार की विचार नहीं किया गया, उनके नाम के सामने लिख दी जायेगी।

स्पष्टीकरण—इस नियम में रिक्तियों की संख्या का तात्पर्य एक वर्ष में होने वाली मौलिक या अस्थायी रिक्तियों की कुल संख्या से है।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:

(क) वर्ग एक और वर्ग दो के पदों पर पदोन्नति की स्थिति में:

(एक) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, नगर विकास विभाग .. अध्यक्ष

(दो) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, कार्मिक विभाग या उनका नाम निर्देशित जो संयुक्त सचिव से अनिम्न स्तर का हो .. सदस्य

(तीन) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश .. सदस्य

(चार) यदि उप खण्ड (एक) से (तीन) में निर्दिष्ट अधिकारी अनुसूचित जातियों या अन्य पिछड़े वर्गों का न हो तो उक्त जातियों या वर्गों जिनका प्रतिनिधित्व न हो, के एक अधिकारी को सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, नगर विकास विभाग द्वारा, ऐसे अधिकारियों में से, जो कम से कम उस पद से, जिसके लिए चयन समिति गठित की जानी है, एक वेतनमान उच्च पद पर हो, नाम निर्दिष्ट किया जायेगा .. सदस्य

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट पदों से भिन्न पदों पर पदोन्नति की स्थिति में:

(एक) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, नगर विकास विभाग या उनका नाम निर्देशिती, जो विशेष सचिव से अनिम्न स्तर का हो .. अध्यक्ष

(दो) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, कार्मिक विभाग द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी जो संयुक्त सचिव से अनिम्न स्तर का हो .. सदस्य

(तीन) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश .. सदस्य

(चार) यदि उप खण्ड (एक) से (तीन) में निर्दिष्ट अधिकारी अनुसूचित जातियों या अन्य पिछड़े वर्गों का न हो तो उक्त जातियों या वर्गों, जिनका प्रतिनिधित्व न हो, के एक अधिकारी को सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, नगर विकास विभाग द्वारा ऐसे अधिकारियों में से, जो कम से कम उस पद से, जिसके लिए चयन समिति गठित की जानी, है. एक वेतनमान उच्च पद पर हो, नाम निर्दिष्ट किया जायेगा .. सदस्य

(4) (एक) सरकार चयन समिति की बैठक के लिए दिनांक या दिनांकों को नियत करेगी।

(दो) जहां चयन समिति यह आवश्यक समझे कि पात्रता सूची में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार उसके द्वारा किया जाना चाहिए तो यह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(तीन) चयन समिति प्रत्येक मामले में अभ्यर्थी को चरित्र पंजी पर विचार करेगी और किसी अन्य तथ्य पर विचार कर सकती है, जो उसकी राय में सुसंगत हो ।

(5) चयन समिति ज्येष्ठता क्रम में दो सूचियां तैयार करेगी, अर्थात्--

सूची--"क" इसमें मौलिक रिक्तियों के प्रति स्थायी नियुक्ति के लिए संस्तुत अभ्यर्थियों के नाम होंगे,

सूची--"ख" इसमें अस्थायी या स्थानापन्न नियुक्तियों के लिए संस्तुत अभ्यर्थियों के नाम होंगे,

परन्तु यदि भर्ती एक से अधिक वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों के लिये की जाये तो ऐसे प्रत्येक वर्ष के सम्बन्ध में चयन उस वर्ष के लिये तैयार की गयी पात्रता सूची से किया जायेगा ।

(6 क)--(एक) सूची "क" में सम्मिलित अभ्यर्थी मौलिक रिक्तियों के प्रति उसी क्रम में, जिसमें उनके नाम सूची में आये हों, नियम 21 के उपनियम (1) के अधीन नियुक्त किये जायेंगे ।

(दो) सूची "क" में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थी, जिनके लिये मौलिक रिक्तियां तुरन्त उपलब्ध न हों, उक्त क्रम में, अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियों के प्रति उन अभ्यर्थियों पर, जो सूची "ख" में सम्मिलित हों, अधिमान देकर नियुक्त किये जायेंगे ।

(तीन) सूची "क" में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थियों के नाम, जिनके लिये उसके दौरान, जिनके लिये उनका चयन किया गया हो, मौलिक रिक्तियां उपलब्ध नहीं की जा सकतीं, वर्ष के अन्त में अनुवर्ती वर्ष में रिक्त होने वाली मौलिक रिक्तियों के प्रति नियुक्ति के लिये अग्रसारित किये जायेंगे या अनुवर्ती वर्ष के लिये तैयार और अनुमोदित की गयी सूची "क" के, यदि कोई हो, शीर्ष पर अन्तरित कर दिये जायेंगे ।

(ख) उपनियम (6) के खण्ड (दो) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सूची "ख" में सम्मिलित अभ्यर्थी उसी क्रम में, जिसमें उनके नाम सूची "ख" में आये हों, अस्थायी रिक्तियों के प्रति सूची "क" के निःशेषित होने के पश्चात् नियुक्त किये जायेंगे । उन्हें मौलिक नियुक्ति के प्रति भी नियुक्त किया जा सकता है, किन्तु अस्थायी आधार पर, यदि किसी समय नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि सूची "ख" से नियुक्त किसी अधिकारी ने अवसर का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो ऐसे अधिकारी को उस पद पर, जिससे उसे पदोन्नत किया गया था, बिना कोई कारण बताये प्रत्यावर्तित किया जा सकता है ।

भाग--सात

नियुक्ति, परिवीक्षा और स्थायीकरण

22--नियुक्ति--(1) मौलिक रिक्तियों के होने पर, सरकार केन्द्रीयित सेवाओं में नियुक्तियां नियम 20 के अधीन तैयार की गयी सूची से, और नियम 21 के उपबन्धों के अनुसार, पदोन्नति द्वारा करेगी :

परन्तु जहां किसी मामले में पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों के द्वारा ही नियुक्ति की जानी हो तो सरकार पदोन्नति और सीधी भर्ती वाले अभ्यर्थी को दोनों में से यथासंभव बारी-बारी से अभ्यर्थी को लेकर ऐसी रिक्तियों में नियुक्त करेगी । अभ्यर्थी उसी क्रम से लिये जायेंगे जिस क्रम से उनके नाम सूची में हों और पहला अभ्यर्थी पदोन्नत अभ्यर्थियों की सूची से लिया जायगा ।

(2) सरकार ऐसी स्थायी रिक्तियों में भी, जिनकी अवधि छः सप्ताह से अधिक हो, नियम 21 के अधीन पदोन्नति के लिये चुने गये व्यक्तियों में से नियुक्तियां कर सकती है :

परन्तु यदि ऐसी नियुक्ति के लिये कोई अनुमोदित अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो सरकार ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति कर सकती है जो केन्द्रीयित सेवाओं में स्थायीतौर पर भर्ती के लिये इस नियमावली के अधीन पात्र हों इस उपबन्ध के अधीन नियुक्तियां उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954 के दिये गये उपबन्धों के अधीन होंगी ।

23--तदर्थ नियुक्तियों का नियमितीकरण--कोई भी व्यक्ति जो 1 अक्तूबर, 1986 के पूर्व तदर्थ आधार पर सीधे नियुक्त किया गया हो और इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को उस रूप में निरन्तर सेवारत रहा हो ।

(दो) जो ऐसी तदर्थ नियुक्ति के समय नियम 13 के अधीन नियमित नियुक्ति के लिये विहित अपेक्षित अर्हतायें रखता हो; और

(तीन) जिसने यथास्थिति तीन वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो या पूरी करने के पश्चात् किसी स्थायी या अस्थायी रिक्ति में, जो उपलब्ध हो, नियमित नियुक्ति के लिए ऐसी रिक्ति में इस नियमावली में विहित उपबन्धों के अनुसार कोई नियमित नियुक्ति करने के पूर्व उसके सेवा अभिलेख और उपयुक्तता के आधार पर विचार किया जायगा।

(2) इस नियमावली के अधीन नियमित नियुक्ति करने में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायगा।

(3) उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए सरकार एक चयन समिति का गठन करेगी और आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा।

(4) स्थानीय निकाय निदेशक अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची, उस ज्येष्ठता क्रम में तैयार करेंगे, जैसा कि उनकी तदर्थ नियुक्ति के आदेश के दिनांक से अवधारित हो, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायं तो उस क्रम में तैयार करेंगे, जिस क्रम में उनके नाम उक्त नियुक्ति के आदेश में क्रमबद्ध किये गये हों। सूची की अभ्यर्थियों की चरित्र पंजियों और उनके सम्बन्ध में ऐसे अन्य अभिलेखों सहित, जो उनकी उपयुक्तता को निर्धारित करने के लिये आवश्यक समझा जाय, चयन समिति के समक्ष रखा जायगा।

(5) चयन समिति अभ्यर्थियों के मामलों पर उपनियम (4) में निर्दिष्ट उनके अभिलेखों के आधार पर विचार करेगी।

(6) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी सूची में नाम ज्येष्ठताक्रम में रखे जायेंगे, और वह उसे सरकार और स्थानीय निकाय निदेशक को भेजेगी।

(7) सरकार या स्थानीय निकाय निदेशक इस नियम के उपनियम (2) और नियम (6) के उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस नियम के उपनियम (6) के अधीन तैयार की गई सूची से नियुक्तियां उस क्रम में करेंगे जिस क्रम में उनके नाम उक्त सूची में रखे गये हों।

(8) उपनियम (7) के अधीन की गई नियुक्तियां नियम 21 में दिये गये सुसंगत उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

(9) इस नियम के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियम के अनुसार चयन के पश्चात् केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में उसे इस नियम के अधीन उसकी नियुक्ति के पूर्व इस नियमावली के भाग 5 में सीधी भर्ती के लिए विहित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा।

(10) यदि दो या अधिक व्यक्ति इस नियम के अधीन एक साथ नियुक्त किए जायं तो उनकी परस्पर ज्येष्ठता नियुक्ति के आदेश में उल्लिखित क्रम में अवधारित की जायेगी।

(11) ऐसे व्यक्ति की सेवा, जो तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया हो और उपयुक्त न पाया जाए या जिसका मामला इस नियम के उपनियम (1) के अधीन न आता हो, तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और ऐसी समाप्ति पर वह एक मास के वेतन पाने का हकदार होगा।

24—परिवीक्षा—(1) केन्द्रीयित सेवाओं में मौलिक स्थिति में या उसके प्रति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए जाने पर प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा :

परन्तु सरकार के केन्द्रीयित सेवाओं के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर स्थानापन्न और अस्थायी रूप से की गयी लगातार सेवा को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से परिवीक्षा अवधि में जोड़ने की अनुज्ञा दे सकती है :

परन्तु यह और कि सरकार किसी व्यक्ति विशेष के मामले में पर्याप्त कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकती है। बढ़ाने के ऐसे आदेश में यह ठीक अवधि लिखी जायेगी, जब तक के लिए उक्त अवधि बढ़ाई गई हो।

(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि में अथवा उसके अन्त में किसी समय यह पाया जाय कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है अथवा अन्य किसी प्रकार से उस कार्य स्तर के सम्बन्ध में, जिसे इससे अपेक्षा की जाती है, संतुष्ट करने में असफल रहा है तो उसकी सेवायें यदि वह सीधी भर्ती से लिया गया हो, समाप्त की जा सकती हैं। जिसके लिए वह किसी नोटिस अथवा प्रतिकर का हकदार न होगा या यदि वह पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उस पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, जिससे वह पदोन्नत किया गया हो।

25—स्थायीकरण—कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति परिवीक्षा अवधि अथवा बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में पद पर स्थायी कर दिया जायेगा, यदि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक हो और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की जाय।

26—ज्येष्ठता—केन्द्रीयित सेवा से किसी पद पर ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के दिनांक से अवधारित की जायेगी किन्तु यदि दो या अधिक अभ्यर्थी एक ही दिनांक को नियुक्त किये जायें तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम से अवधारित की जायेगी, जिस क्रम में उनके नाम नियम 20 और 21 के अधीन तैयार की गई सूची में आये हों।

27—स्थानान्तरण—(1) राज्य सरकार केन्द्रीयित सेवाओं के किसी अधिकारी को एक पालिका या जल संस्थान से दूसरी पालिका या जल संस्थान में स्थानान्तरित कर सकती है।

(2) यथास्थिति या जल संस्थान कोई पालिका केन्द्रीयित सेवा के किसी अधिकारी का स्थानान्तरण करने का निवेदन पालिका संघठित करने वाले यथास्थिति पालिका या जल संस्थान के दो तिहाई सदस्यों के बहुमत द्वारा इस आशय का एक विशेष संकल्प पारित कर सकती हैं।

भाग 8—अन्य उपबन्ध

28—वेतन और भत्ते—राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीयित सेवाओं के अधिकारियों के लिए निश्चित वेतन तथा भत्ते, यथास्थिति पालिका या जल संस्थान द्वारा सीधे अधिकारियों को दिये जायेंगे।

29—परिवीक्षा अवधि के दौरान वेतन—(1) परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि वह पहले से ही यथास्थिति किसी पालिका या जल संस्थान की स्थायी सेवा में न हो, परिवीक्षा अवधि में प्रथम वर्ष के लिए पद का न्यूनतम वेतन और वेतन छुट्टियां, जैसे वे प्रोद्भूत हों, लेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि संतोषजनक कार्य न करने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि में तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि सक्षम प्राधिकारी ऐसा निदेश न दे, किन्तु स्थायी हो जाने पर उसे वही वेतन मिलेगा, जो उनकी सेवा की अवधि के अनुसार अनुमन्य होता।

(2) परीक्षा अवधि के दौरान ऐसे किसी व्यक्ति का, जो केन्द्रीयित सेवा में भर्ती किए जाने के पूर्व यथास्थिति किसी पालिका या जल संस्थान की सेवा में पहले से ही किसी मौलिक पद पर हो, वेतन यथास्थिति पालिका या जल संस्थान के कर्मचारियों का वेतन निश्चित करने से सम्बद्ध संगत नियमों के अनुसार निश्चित किया जायेगा।

30—दक्षता रोक पार करने के लिए मानदण्ड—(1) केन्द्रीयित सेवाओं के किसी सदस्य को प्रथम दक्षता-रोक पार करने की तब तक अनुमति न दी जायेगी, जब तक उसके सम्बन्ध में यह न पाया जाय कि उसने सन्तोषजनक रूप से और अपनी पूरी योग्यता से कार्य किया है तथा उसकी सत्यनिष्ठा सन्देह से परे प्रमाणित न कर दी जाय।

(2) केन्द्रीयित सेवाओं के किसी सदस्य को द्वितीय और अनुवर्ती दक्षता रोक पार करने की तब तक अनुमति न दी जायेगी जब तक कि वह अपने कार्य, आचरण, सत्यनिष्ठा तथा योग्यता से पूर्णतः सन्तुष्ट न कर दें।

(3) केन्द्रीयित सेवाओं के सदस्यों को दक्षता रोक पार करने की अनुमति का आदेश सरकार द्वारा जारी किया जायेगा।

(4) प्रत्येक अवसर पर जब किसी कर्मचारी को ऐसी दक्षता रोक पार करने की अनुमति दी जाय, जिस पर वह पहले से रोक लिया गया हो तो दक्षता रोक पार करने के दिनांक से उसका वेतन समयमान में ऐसे प्रक्रम पर निश्चित किया जायेगा, जो उसे मिलता, यदि वह दक्षता रोक पर रोक न लिया गया होता।

31—पक्ष समर्थन—भर्ती के लिए इस नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न सिफारिशों पर चाहे वे लिखित हों या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी अभ्यर्थता के लिए अन्य उपायों द्वारा समर्थन प्राप्त करने का प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

32—अवकाश भत्ता, स्थानापन्न वेतन फीस और मानदेय—(1) इस नियमावली में अन्यथा उपबन्धित व्यवस्था को छोड़कर अवकाश तथा अवकाश वेतन से सम्बद्ध सभी मामले, समान परिस्थिति के सरकारी सेवकों पर प्रयोज्य अवकाश सम्बन्धी नियमों में निर्धारित रीति से विनियमित होंगे और समय-समय पर जारी किए गये संशोधन की सभी व्याख्याओं और स्पष्टीकरणों सहित आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

(2) वेतन जिसके अन्तर्गत स्थानापन्न वेतन और अतिरिक्त वेतन भी है, विशेष वेतन, मानदेय, प्रतिकर भत्ता, निर्वाह भत्ता, तथा फीस की स्वीकृति उन्हीं शर्तों पर विनियमित होगी जो समान प्रास्थिति के सरकारी सेवकों पर यू0पी0 फाइनेन्शियल हैण्ड बुक खण्ड दो भाग दो से चार में दिए गये यू0पी0 फंडामेंटल ऐंड सब्सीडियरी रूल्स के अधीन प्रयोज्य हों।

(3) इस नियमावली से स्पष्ट रूप उपबंधित व्यवस्था को छोड़कर फाइनेन्शियल हैण्ड बुक खण्ड 2 भाग 2 से 4 तक में दिए हुए यू0 पी0 फडामेन्टल एण्ड सब्सीडियरी रूल्स तथा फाइनेन्शियल हैण्ड बुक खण्ड 3 में दिए हुये ट्रेवलिंग एलाउन्स रूल्स आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

टिप्पणी—तत्समान अधिकारी को इस नियमावली के प्रयोजनों के लिए उक्त फाइनेन्शियल हैण्ड बुकों के अन्तर्गत विभिन्न अधिकारों का प्रयोग करने के लिये सक्षम हो, वे होंगे जिन्हें सरकार समय-समय पर आदेश द्वारा अवधारित करें।

33—अवकाश व्यय का आपात—यथास्थिति एक पालिका या जल संस्थान से दूसरी पालिका या जलसंस्थान में स्थानान्तरित किए गये किसी अधिकारी का अवकाश व्यय, मार्गस्थ वेतन और भत्तों जिसके अन्तर्गत यात्रा-भत्ता भी है, निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार विनियमित किया जायेगा :—

(क) जब किसी अधिकारी को, यथास्थिति, एक पालिका या जल संस्थान से दूसरी पालिका या जल संस्थान में स्थानान्तरित किया जाय तो उसका मार्गस्थ वेतन और भत्ता जिसके अन्तर्गत यात्रा-भत्ता भी है, यथास्थिति उस पालिका या जल संस्थान द्वारा दिया जायेगा जहाँ उसका स्थानान्तरण किया जाय।

(ख) अवकाश वेतन, यथास्थिति, उस पालिका या जल संस्थान द्वारा दिया जायेगा जहाँ से अधिकारी अवकाश पर जाय।

34—भविष्य निधि—सभी केन्द्रीयित सेवाओं के लिए एक सामान्य भविष्य निधि स्थापित कर दी जाने के समय तक, इस नियमावली द्वारा शासित अधिकारी, जब तक कि इस नियमावली में अन्यथा व्यवस्था न हो, यथा-स्थिति उस पालिका या जल संस्थान के जिसमें वह तत्समय तैनात है भविष्य निधि संबंधी विनियमों अथवा नियमों द्वारा शासित होते रहेंगे :

परन्तु ऐसी पालिका या जल संस्थान के विनियमों या नियमों में किसी बात के होते हुये भी अधिकारी द्वारा निधि में दिये जाने वाले अंशदान की धनराशि उसकी उपलब्धियों के सवा छः प्रतिशत की दर से कम न होगी (पद उपलब्धियों का तात्पर्य फाइनेन्शियल हैण्ड बुक खण्ड 2 से यथापरिभाषित वेतन, अवकाश वेतन या निर्वाह अनुदान से है) और यथास्थिति, पालिका या जल संस्थान द्वारा जिसमें दिया जाने वाला अंशदान उपलब्धियों के सवा छः प्रतिशत की दर से होगा, तथा दोनों धनराशियां निकटतम पूरे रुपये में का जायेगी। 50 पैसा या उससे अधिक की गणना अगले उच्च रुपये में की जायेगी।

परन्तु यह और कि कोई अधिकारी जो केन्द्रीयित सेवाओं में अपने आमेलन हो जाने या उसमें नियुक्ति के ठीक पूर्व यथास्थिति, किसी पालिका या जलसंस्थान के पेंशन तथा सामान्य भविष्य निधि विनियमों या नियमों द्वारा शासित होता रहा हो वह इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी यथास्थिति, ऐसे पेंशन या सामान्य भविष्य निधि विनियमों अथवा नियमों द्वारा निम्नलिखित प्रकार से शासित होता रहेगा—

(एक) ऐसे अधिकारी के सामान्य भविष्य निधि में अंशदान की धनराशि यथास्थिति, उस पालिका या जल संस्थान द्वारा जिसमें वह तत्समय तैनात हो, प्रतिमाह उसके वेतन में से काट ली जायेगी।

(दो) उक्त पालिका या, यथास्थिति, जल संस्थान, ऐसी पालिका या यथास्थिति, जल संस्थान को जिसमें उक्त अधिकारी केन्द्रीयित सेवा में अपने आमेलन हो जाने या उसमें नियुक्ति के ठीक पूर्व सेवायोजित था, सामान्य भविष्य निधि में उसके अंशदान की धनराशि तथा उक्त अधिकारी के सम्बन्ध में अपना पेंशन सम्बन्धी अंशदान सम्बन्धित निधियों में जमा करने के लिए भुगतान करेगा ; और

(तीन) जिस पालिका या यथास्थिति जल संस्थान में उक्त अधिकारी अपने केन्द्रीयित सेवाओं में आमेलन हो जाने या उसमें अपनी नियुक्ति से ठीक पूर्व सेवायोजित रहा हो, वह उसके सेवानिवृत्त होने के पश्चात् यथास्थिति उक्त पेंशन तथा सामान्य भविष्य निधि विनियमों या नियमों के अनुसार उसे उसके पेंशन, अनुग्रह धन तथा सामान्य भविष्य निधि का या उसके परिवार के सदस्यों को अनुग्रह धन तथा पारिवारिक पेंशन का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगी ।

35—भविष्य निधि के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध—(1) 20 दिन से अधिक के अवकाश की व्यवस्था यथास्थिति एक पालिका या जल संस्थान से यथास्थिति दूसरी पालिका या जल संस्थान में यथास्थिति स्थानान्तरण होने पर तुरन्त यथास्थिति उस पालिका या जल संस्थान में जहां पर अधिकारी का स्थानान्तरण किया गया हो, उसके नाम से एक नया भविष्य निधि लेखा खोला जायेगा और यथास्थिति उस पालिका या जल संस्थान का, जहां से उसका स्थानान्तरण किया गया हो, मुख्य नगराधिकारी, अध्यक्ष या जल संस्थान का महाप्रबन्धक, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे स्थानान्तरण के दिनांक से तीस दिन के भीतर, यथास्थिति उस पालिका या जल संस्थान को जहां पर उसे स्थानान्तरित किया गया हो, अधिकारी के भविष्य निधि का एक पूर्ण लेखा भेजेगा और पुराने लेखे में उनके नाम से जमा हो गयी धनराशि तथा ब्याज को जिसकी गणना उस माह तक की जायेगी जिसमें लेखा हस्तान्तरित किया जाय, उसके नये लेखे में हस्तान्तरित करायेगा । अगले अनुवर्ती माह में ऐसी धनराशि पर आगे का कुल ब्याज, यथास्थिति, उस पालिका या जल संस्थान द्वारा देय होगा जहां पर नया लेखा खोला गया हो ।

(2) उपनियम (1) में उल्लिखित परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में अधिकारी अपने वर्तमान भविष्य निधि में अंशदान देता रहेगा और ऐसी अतिरिक्त धनराशि भी देगा जो उसके सम्बन्ध में उससे मांगी जाय और निधि का प्रबन्ध करने वाली यथास्थिति, पालिका या जल संस्थान उसमें अपना योगदान जमा करता रहेगा और यथास्थिति उस पालिका या जल संस्थान के लिए जहां पर अधिकारी को स्थानान्तरण किया गया हो, यह अनिवार्य होगा कि वह, यथास्थिति, उस पालिका या जल संस्थान को जहां से अधिक का स्थानान्तरण किया गया हो, यथास्थिति उस, पालिका या जल संस्थान को परिलब्धियों की वास्तविक धनराशि की सूचना युक्तियुक्त शीघ्रता से दें । इसी प्रकार उसमें प्रत्येक परिवर्तन की भी सूचना तुरन्त दी जायेगी ।

(3) किसी धनराशि के देय हो जाने पर उसके भुगतान की जिम्मेदारी, यथास्थिति, उस पालिका या जल संस्थान की होगी जो तत्समय भविष्य निधि रखने के लिए उत्तरदायी हो ।

36—अनुशासनिक कार्यवाहियां—(1) ऐसे उपान्तरों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार समय-समय पर करें अनुशासनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में दण्ड के विरुद्ध अपील और अभ्यावेदन सम्बन्धी नियम जो सरकारी सेवकों पर लागू हैं, सेवा के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों पर लागू होंगे ।

(2) केन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों पर कोई बड़ा या छोटा दण्ड आरोपित करने के लिए राज्य सरकार सक्षम अधिकारी होगी :

परन्तु कोई छोटा दण्ड देने की शक्ति भी यथास्थिति नगरपालिका, नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष या जल संस्थान के महा प्रबन्धक में निहित होगी :

परन्तु यह और कि केन्द्रीयित सेवाओं के ऐसे अधिकारियों पर, जिनके सम्बन्ध में नियुक्त करने की शक्ति राज्य सरकार द्वारा उसे प्रत्यायोजित की गयी है, बड़ा या छोटा दण्ड देने की शक्ति भी स्थानीय निकाय निदेशक में निहित होगी :

परन्तु यह भी है कि किसी ऐसे अधिकारी के सम्बन्ध में पदच्युत करने या सेवा से हटाने या पदावनत करने का कोई आदेश देने के पूर्व आयोग से परामर्श करना आवश्यक होगा ।

(3) केन्द्रीयित सेवा के किसी अधिकारी को निलम्बित करने की शक्ति का प्रयोग केवल राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा ।

(4) ऐसे मामलों में जिनमें उपर्युक्त उपनियम (2) के उपबन्धों के अनुसार यथास्थिति, अध्यक्ष या मुख्य नगर अधिकारी या महाप्रबन्धक जल संस्थान द्वारा किसी अधिकारी के प्रति अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी हो और जांच के पूरा होने से पश्चात् वह इस अनन्तिम निष्कर्ष पर पहुंचे कि पदच्युत करने या सेवा से हटाने या पदावनत करने का दण्ड आवश्यक है, वह उस मामले अपने निष्कर्षों पर सिफारिशों के साथ सरकार को अन्तिम आदेश के लिए निर्दिष्ट करेगा।

37—सेवा निवृत्ति की आयु—(1) उपनियम (2) और (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए केन्द्रीयित सेवाओं के समस्त अधिकारियों की सेवा से निवृत्त होने की आयु साठ वर्ष होगी, जिसके पश्चात साधारणतया किसी को भी पालिका की सेवा में नहीं रखा जायेगा।

(2) सरकार किसी भी समय केन्द्रीयित सेवा के किसी अधिकारी को (चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी) नोटिस देकर, बिना कोई कारण बताये उसके पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात सेवा निवृत्त हो जाने की अपेक्षा कर सकती है, या ऐसा केन्द्रीयित सेवा का अधिकारी पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् या बीस वर्ष की अर्ह सेवा पूरी कर लेने पर किसी भी समय सरकार को नोटिस देकर स्वेच्छा से सेवा निवृत हो सकता है।

(3) ऐसी नोटिस की अवधि तीन मास होगी परन्तु;

(क) किसी ऐसे केन्द्रीयित सेवा के अधिकारी को पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात किसी भी समय सरकार के आदेश से ऐसी नोटिस के बिना या अल्पावधि की नोटिस पर तत्काल सेवा निवृत्त किया जा सकता है, और ऐसी सेवा निवृत्ति पर केन्द्रीयित सेवा का अधिकारी, नोटिस की अवधि के लिए या, यथा स्थिति, ऐसी नोटिस तीन मास से जितनी कम हो, उतनी अवधि के लिए उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते की, यदि कोई हो, राशि के बराबर धनराशि का दावा करने का हकदार होगा जिस दर पर वह उनको अपनी सेवा निवृत्ति के ठीक पहले पा रहा था।

(ख) यदि सरकार चाहे तो वह किसी केन्द्रीयित सेवा के अधिकारी को नोटिस के बिना या अल्पावधि की नोटिस पर सेवा निवृत्त होने की अनुज्ञा दे सकती है:

परन्तु यह और कि ऐसे केन्द्रीयित सेवा के अधिकारी द्वारा जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित या अनुध्यात हो, दी गयी नोटिस तभी प्रभावी होगी यदि वह सरकार द्वारा स्वीकार कर ली जाती है, किन्तु किसी अनुध्यात अनुशासनिक कार्यवाही की स्थिति में केन्द्रीयित सेवा के अधिकारी को उसकी नोटिस स्वीकार न किये जाने की सूचना नोटिस की समाप्ति के पूर्व दे दी जायेगी:

परन्तु यह और भी कि स्वेच्छा से सेवा निवृत्त होने के लिए उपनियम (2) के अधीन केन्द्रीयित सेवा के अधिकारी द्वारा एक बार दी गयी नोटिस उसके द्वारा सरकार की अनुज्ञा के सिवाय वापस नहीं ली जा सकेगी।

(4) प्रत्येक केन्द्रीयित सेवा के अधिकारी को जो इस नियम के अधीन सेवा निवृत्त होता है या जिससे सेवा निवृत्त होने की अपेक्षा की जाती है या जिसे सेवा निवृत्त होने की अनुज्ञा दी जाती है, उस पर लागू सुसंगत नियमों के उपबन्धों के अनुसार उनके अधीन रहते हुए सेवा निवृत्ति पेन्शन और अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं यदि कोई हो, उपलब्ध होंगी।

स्पष्टीकरण (1) उपनियम (2) के अधीन सरकार का केन्द्रीयित सेवा के अधिकारी से सेवा निवृत्त होने की, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट है, अपेक्षा करने का निर्णय सरकार के द्वारा; यह बात लोक हित में प्रतीत होने पर लिया जायेगा किन्तु यहां पर दी गयी किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि आदेश में यह उल्लेख करने की अपेक्षा की गयी है कि ऐसा निर्णय लोकहित में लिया गया है।

(2) जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय, प्रत्येक ऐसे निर्णय के विषय में यह उपधारणा की जायेगी कि वह लोक हित में लिया गया है।

(3) सरकार का प्रत्येक आदेश, जिसमें केन्द्रीयित सेवा के अधिकारी से इस नियम के उपनियम (3) के प्रतिबन्धात्मक खंड (क) के अधीन तत्काल सेवा निवृत्त की अपेक्षा की गयी हो, जारी किये जाने के दिनांक के अपराह्न से प्रभावी होगा किन्तु यदि उसके जारी किये जाने के पश्चात् सम्बद्ध केन्द्रीयित सेवा का अधिकारी सदाशयता से और उस आदेश की अनभिज्ञता से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करता है तो उसके कार्यों को इस तथ्य के होते हुए भी कि वह पहले ही सेवा निवृत्त हो गया विधिमान्य समझा जायेगा।

38—सेवा की अवधि का बढ़ाया जाना—केन्द्रीयित सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की अवधि विशिष्ट कारणों से जिन्हें सरकार अभिलिखित करेगी, 62 वर्ष की आयु तक बढ़ायी जा सकती है:

परन्तु सेवा की अवधि

(एक) एक बार में एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये और;

(दो) जब तक कि सम्बद्ध अधिकारी शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ और दक्ष न हो, नहीं बढ़ायी जायेगी।

39—निर्वाचन और अन्य विषयों का विनियमन—इस नियमावली में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार का यह समाधान हो जाय कि नियमावली के किन्हीं उपबन्धों को लागू करने से किसी विशेष मामले

में कोई अनुचित कठिनाई होती है, तो वह आदेश द्वारा उक्त उपबन्ध की अपेक्षाओं को उस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जहां उस मामले में न्यायपूर्ण तथा साम्यिक (equitable) रूप से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

40--शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन--सरकार इस नियमावली के अधीन अपनी शक्तियों तथा कृत्य निदेशक, स्थानीय निकाय अथवा किसी अन्य प्राधिकारी को, जिसे वह उचित समझे, प्रत्यायोजित कर सकती है।

41--पालिका और जलसंस्थान पर्वतीय उपसंवर्ग का गठन--(1) इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी अनुसूची चार के स्तम्भ 1 में उल्लिखित केन्द्रीयित सेवाओं का एक पृथक पालिका और जल संस्थान पर्वतीय उप संवर्ग होगा जिसे उनके स्तम्भ 2 में उनके सामने उल्लिखित पद होंगे।

(2) ऐसे पदों के पदधारी उक्त उप संवर्ग में उनके आवंटन के पश्चात् नियम 44 के अनुसार पर्वतीय जिलों, अर्थात् अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पौड़ीगढ़वाल, पिथौरागढ़, टेहरी गढ़वाल, ऊधम सिंह नगर और उत्तरकाशी के बाहर स्थानान्तरित होने के दायी नहीं होंगे।

(3) उप नियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक केन्द्रीयित सेवा की पालिका और जल संस्थान पर्वतीय उप संवर्ग की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नियत करें।

42--सेवा के सदस्यों का पर्वतीय उप संवर्ग में आवंटन--(1) अनुसूची चार के स्तम्भ 2 में उल्लिखित पदों पर सेवारत केन्द्रीयित सेवा के वर्तमान सदस्यों से उत्तर प्रदेश पालिका और जलसंस्थान अभियन्त्रण (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1996 के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन मास के भीतर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यह अपेक्षा की जायगी कि वे पालिका और जल संस्थान पर्वतीय उप संवर्ग में आवंटन के लिए या सामान्य संवर्ग में बने रहने के लिए अपने विकल्प का प्रयोग करें।

(2) एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम और अप्रतिसंहरणीय होगा।

(3) यदि उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विकल्प का प्रयोग न किया जाय तो यह समझा जायेगा कि केन्द्रीयित सेवा का सदस्य सामान्य संवर्ग में रहना चाहता है और अपना आवंटन पालिका और जल संस्थान पर्वतीय उप संवर्ग में नहीं चाहता।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे व्यक्तियों की जिन्होंने पालिका और जल संस्थान पर्वतीय उप संवर्ग में आवंटन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग किया है, केन्द्रीयित सेवाओं में उनकी ज्येष्ठता के अनुसार सूची तैयार करेगा।

(5) पालिका और जल संस्थान पर्वतीय उप संवर्ग में व्यक्तियों का आवंटन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उस क्रम में किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम उपनियम (4) के अधीन तैयार की गई सूची में आये हों और यदि ऐसी सूची में व्यक्तियों की संख्या पदों की संख्या से अधिक हो तो पदों की संख्या से अधिक व्यक्तियों की एक प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी और जब कभी पालिका और जल संस्थान पर्वतीय उप संवर्ग में कोई रिक्ति हो, उनका उक्त उप संवर्ग में आवंटन किया जायेगा।

43--पालिका और जल संस्थान पर्वतीय उपसंवर्ग में भर्ती--पालिका और जल संस्थान पर्वतीय उपसंवर्ग में पदों पर भर्ती, यथास्थिति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा इस नियमावली के अनुसार की जायेगी:

परन्तु जहां पालिका और जल संस्थान पर्वतीय उप संवर्ग में आने वाले किसी पद पर भर्ती पदोन्नति द्वारा की जानी हो तो पालिका और जल संस्थान पर्वतीय उपसंवर्ग के सदस्यों की पृथक् पात्रता सूची तैयार की जायेगी और उससे भर्ती की जायेगी।

44--पालिका और जल संस्थान पर्वतीय उप संवर्ग के व्यक्तियों की ज्येष्ठता--पालिका और जल संस्थान पर्वतीय उपसंवर्ग में किसी सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता इस नियमावली के अनुसार अवधारित की जायेगी।

45--निर्वचन--यदि इस नियमावली के किन्हीं उपबन्धों के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई विवाद उठे या कठिनाई उत्पन्न हो तो उसे सरकार को अभिनिर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर निर्णय अन्तिम तथा निश्चायक होगा।

46--अन्य विषयों का विनियमन--ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली के अन्तर्गत न आते हों, केन्द्रीयित सेवाओं में नियुक्त व्यक्ति, जिसमें पालिका और जल संस्थान पर्वतीय उप संवर्ग सम्मिलित हैं, राज्य के कार्यपालकों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर साधारणतः लागू नियमों, विनियमों और आदेश द्वारा नियंत्रित होंगे।

47--व्यावृत्ति--इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका नियम 8 और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

अनुसूची-1

[नियम 6 (1) (एक) देखिए]

केन्द्रीयित सेवा का नाम	पद का नाम
(1) उत्तर प्रदेश पालिका और जलकल अभियंत्रण (वरिष्ठ) सेवा	(एक) नगर निगमों के नगर अभियन्ता (जल)। (दो) जल संस्थानों के महाप्रबन्धक। (तीन) अधिशासी अभियन्ता।

अनुसूची-2

[नियम 6 (1) (दो) देखिए]

केन्द्रीयित सेवा का नाम	पद का नाम
(1) उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान, जलकल अभियन्त्रण (अधीनस्थ) सेवा	अवर अभियन्ता।

अनुसूची-3

[नियम 6 (1) (तीन) देखिए]

केन्द्रीयित सेवा का नाम	पद का नाम
(1) उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान अभियंत्रण (वरिष्ठ) सेवा	सहायक अभियन्ता।
(2) उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जलकल अभियन्त्रण (अधीनस्थ) सेवा	अवर अभियन्ता श्रेणी-1।

अनुसूची-4

[नियम 41 देखिए]

केन्द्रीयित सेवा का नाम	पद का नाम
(1) उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जलकल अभियन्त्रण (वरिष्ठ) सेवा	(एक) जल संस्थानों के महाप्रबन्धक। (दो) जल संस्थानों के अधिशासी अभियन्ता। (तीन) जल संस्थानों के सहायक अभियन्ता।
(2) उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जलकल अभियन्त्रण (अधीनस्थ) सेवा	(एक) अवर अभियन्ता श्रेणी-1। (दो) अवर अभियन्ता।

आज्ञा से,
आर0 बी0 भास्कर,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 4435/IX-3-96-220-W-96** dated December 23, 1996 :

No. 4435/IX-3-96-220-W-96

December 23, 1996

The following draft of rules which the Governor proposes to make in exercise of the powers under section 112-A of the Uttar Pradesh Municipal Corporations Act, 1959 (U. P. Act no. II of 1959), section 69-B read with clause (a) of sub-section (2) of section 296 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U. P. Act no. II of 1916) and section 27-A of the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975 (U. P. Act no. 43 of 1975) and in supersession of notification no. 1682/IX-3-86-248-W-84, dated June 18, 1986, the Governor is pleased to publish the following Service Rules which is already published under the notification **no. 104/IX-3-96-220-W-96**, dated September 9, 1996 in the Gazette as required under sub-section (2) of section 540 of the said Act of 1959 and sub-section (1) of section 300 of the said Act of 1916 :

THE UTTAR PRADESH PALIKA AND JAL SANSTHANS WATER WORKS ENGINEERING (CENTRALISED) SERVICES RULES, 1996

PART-I—*General*

1. **Short title, Scope and Commencement.**—(1) These rules shall be called the Uttar Pradesh Palika and Jal Sansthans Water Works Engineering (Centralised) Services Rules, 1996.

(2) They shall be applicable to all the Municipal Corporations, Municipal Councils and Jal Sansthans in Uttar Pradesh.

(3) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

2. **Definitions**—In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context—

(*i*) "*appointing authority*" means the State Government ;

(*ii*) "*Centralised Services*" means services common to the Jal Sansthans and to the Water Works of Municipal Coropration and Municipal Councils created under rule 3;

(*iii*) "*Citizen of India*" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution ;

(*iv*) Classes "A", "B" and "C" Water Works in the Municipal Corporations, Municipal Councils and Jal Sansthans means the Undertakings so specified by the Government from time to time;

(*v*) "Classes I, II, III or IV Municipal Councils" means the Municipal Councils specified as such by the Government, from time to time ;

(*vi*) "*Commission*" means the Uttar Pradesh Public Service Commission ;

(*vii*) "*Constitution*" means the Constitution of India ;

(*viii*) "*Carporation*" means the Municipal Corporation constituted under section 4 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959.

(*ix*) *Direct recruitment*" means recruitment made in the manner prescribed in part V of these rules ;

(*x*) "*Government*" means the Government of Uttar Pradesh ;

(*xi*) "*General Cadre*" means the cadre of posts in the centralised services not included in the Palika Hill Sub-Cadre ;

(xii) "*Jal Sansthans*" means Jal Sansthans established by the State Government under section 18 of the U. P. Water Supply and Sawarage Act, 1975.

(xiii) "*Member of the service*" means a person absorbed against or appointed to a post in the cadre of the centralised service under these rules;

(xiv) "*Officers*" means the officers of the Centralised Services under rule 3;

(xv) "*Other backward classes of citizens*" means the backward classes of citizens specified in Schedule I of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994;

(xvi) "*Palika*" means a Corporation, or a Municipal Council, as the case may be;

(xvii) "*Palika Hill Sub-Cadre*" means the Palika Hill Sub-Cadre constituted under rule 41;

(xviii) "*State*" means the State of Uttar Pradesh; and

(xix) "*Substantive appointment*" means an appointment, not being an *ad hoc* appointment, made after selection in accordance with these rules.

PART II—*Cadre and strength*

3. Formation of Centralised Services.—There shall be following centralised Services in the Palikas and Jal Sansthtans and they shall consist of the posts mentioned against them :

(1) U. P. Palika and Jal Sansthanas Water Works Enginoerig (Superior) Service	(i) Nagar Abhiyanta (Jal) of Corporation . (ii) General Manager of Jal Sansthan (iii) Executive Engineer (iv) Assistant Engineer
(2) U. P. Palika and Jal Sansthans Water Works Engineering (Subordinate) Service	(i) Junior Engineer Grade-I (ii) Junior Engineer

Explanation : The officers abosorbed on the posts of the services mentioned in Column-I below shall be deemed absorbed on the posts of the services mentioned in Column-II against these post from the date of their absorption :

	COLUMN-I	COLUMN-II
(1) U. P. Palika and Jal Sansthans Water Works Enginerring (Superior) Service	1. Executive Engineer	Water Works Engineer of 'A' class undertakings in Municipal Councils and Jal Sansthans.
	2. Assistant Engineer	Water Works Engineer or Assistant Water Works Engineer (qualified) of "B" class undertakings in Municipal Councils and Jal Sansthans.
(2) U. P. Palika and Jal Sansthans Water Works Engineering (Subordinate) Service.	3. Junior Engineer Grade-I	1. Water Works Engineer (qualified) of 'C' class under takings in Municipal Councils and Jal Sansthans 2. Chief Meter Inspector.

COLUMN I	COLUMN II
	3. Chief Pipeline Inspector
	4. Chief Zonal Inspector
	5. Chief Waste Detection Inspector.
4. Junior Engineer	Pipeline Inspector

4. Pay—The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service, whether in a substantive or officiating capacity or as a temporary measure, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

5. Strength of Services.—(1) The strength of each of the Centralised Services created under rule 3 shall be such as the Government may fix from time to time.

(2) Until the Government determines the strength of post as envisaged under sub-rule (1) the posts in the service as existing on the 12th day of December, 1983 and such posts created with the approval of Government after that date under the Co-operations, Municipal Council of all category and Jal Sansthans, shall form the present strength.

(3) The Co-poration, Municipal Council and Jal Sansthans shall have no authority to abolish any of the existing post under the Centralised services or any such post which may be created in future.

PART III—*Source of recruitment and absorption*

6. Source of recruitment.—Subject to the provisions of rule 7 :—

(i) the posts mentioned in Schedule I shall be filled in by promotion in the manner laid down in rule 20 ;

(ii) the post mentioned in Schedule II shall be filled in by direct recruitment in the manner laid down in Part V;

(iii) the posts mentioned in Schedule III shall be filled in equally from the two sources and in the manner mentioned above, so, however, that the odd post, if any, shall be filled in by promotion ;

Provided that if suitable candidates are not available in the number required under this sub-rule for recruitment by promotion or by direct recruitment, as the case may be, the deficiency may be made good from the other of the two sources or a temporary appointment may be made by deputation from amongst the officers service under Government :

"Provided further that in respect of the posts of Assistant Engineer, mentioned in Schedule III, out of the posts to be filled by promotion, 5 per cent of the vacancies shall be filled from amongst such Junior Engineers who possess Bachelor's degree in Engineering from any recognized institution or are Associate Members of the Institute of Engineers.

7. Absorption.—(1) The absorption or determination of the services of officers and servants of the Palika and Jal Sansthan holding or performing the duties and functions of the post referred to in rule 3 immediately before the commencement of these rules shall be governed by the following provisions :

(i) Officers and servants of Palikas and Jal Sansthans holding a post in any service, mentioned in rule 3 shall unless they opt otherwise, stand absorbed provisionally subject to such orders as the Government may in each case pass.

(ii) Such officers and servants, as are provisionaly absorbed under clause (i), may by subsequent orders of Government to be passed before December 31, 1986, be finally absorbed, if found suitable.

(iii) If, in any case, no orders to the contrary are passed by Government before the date mentioned in clause (ii), the officer or servant shall be deemed to be finally absorbed.

(iv) The Services of officers and servants, referred to in the preceding clauses, who opt against absorption as well as of these who are found to be unsuitable for absorption shall stand determined and, without prejudice to their claims to any leave, pension, provident find or gratuity which they would have been entitled to take or receive on their retirement or termination of service, as the case may be, if these rules had not been made, they shall be entitled to the following compensation—

(A) Permanent officers or servants—A sum equal to—

(a) the pay for the remaining period of their service : or

(b) six months pay in the case of officers and servants whose total continuous service immediately before the commencement of these rules exceeds ten years, and three months pay, in the case of officers and servants whose total continnous service as aforesaid did not exceed ten years, whichever be less.

(B) Officers and servants other than those mentioned in clause (A), a sum equal to one months pay.

Explanation—For the purpose of calculating pension or gratuity, if any, admissible to the permanent officers and servants, referred to in clause (1), whose services stand determined under this clause, the following period shall be deemed to be added to their length of service qualifying for pension or gratuity :

Length of service qualifying for pension gratuity		*Addition to be made*
(1) Up to five years	...	One year.
(2) Over five years and upto ten years	...	Two years.
(3) Over ten years and upto fifteen years	...	Three years.
(4) Over fifteen years	...	Four years.

Explanation II—For the purposes of this clause "Pay" include any dearness allowance or other *ad hoc* addition by way of interim relief that may be admissible

(v) The compensation mentioned in clause (iv) shall be paid by the Palika or Jal Sansthan under whom the officers or servant was employed immediately before the commencement of these rules.

(vi) The option mentioned in clause (i) may be exercised at any time before October 31, 1986 and intimation of exercise thereof shall be sent to Government. Until option to the contrary is exercised, the officer or servant shall, subject to the provisions of the foregoing clauses, stand absorbed provisionally.

8. **Representation of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes.**—Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes of citizens shall be in accordance with the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994.

PART IV—*Qualifications*

9. **Nationality.**—A candidate for recruitment to any post in the Centralised Service must be—

(a) a citizen of India, or

(*b*) a subject of sikkim, or

(*c*) a Tibetn who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(*d*) a person of Idian origin who has migrated from Pakistan with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging to category (c) or (d) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India :

Provided further that a candidate belonging to category (c) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh :

Provided also that if a candidate belongs to category (d) above, the certificate of eligibility will be valid only for a period of one year from the date of his appointment beyond which he can be retained in service only if he has become a citizen of India.

10. Age.—A candidate for direct recruitment to any post in the Centralised Service must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 32 years on the first day of January next following the year in which the recruitment is made :

Provided that —

(1) in the case of a person who has already rendered one year's service or more in any of the Centralised Services or in the Palika or Jal Sansthan, as the case may be, the maximum age-limit shall be greater to the extent he has rendered continuous services or a period of seven years whichever is less :

(2) a candidate, who was entitled in respect of his age to appear at a selection in any year, in which no selection is made, shall be deemed to be entitled in respect of his age to appear at the next following selection :

(3) the maximum age-limit shall be greater by 5 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes.

(4) the State Government may, by a general or sepecial order relax the maximum age-limit prescribed in this rule in favour of any candidate or class of candidate, if it considers is necessary in the interest of fair dealing or in public interest.

11. Character.—(1) the appiointing authority shall satisfy itself that the charater of a candidate for appointment is such as to render him suitable, in all respects for employment in Centralised Services.

(2) Every candidate for recruitment shall be required to submit certificates of character from the principal head of the institution last attented and from two Gazetted Officers (not related to the candidate) in active service of the state or Union Government who are well acquainted within his private life but unconnected with his School, College or University.

12. Physical fitness.—No person shall be appointed substantively to a post in the Centralised Services unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his offical duties. Before a candidate is finally approved for appointment by direct recruitment to a post in the Superior Service he shall be required to appear before the State Medical Board for a medical examination :

Provided that the person approved for the appointment to a post in the subordinate Service shall be required to obtaion a certificate of physical fitness from the Chief Medical Officer.

13. Qualifications.—A candidate for appintment to any post under Centralised Services must posses such qualification as the State Government may from time to time specify.

14. Preferential Qualifications.—A candidate (i) who has served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or (ii) who has obtained a 'B' Certificate of the National Cadet Corps shall, other things being equal, be given preference in matter of direct recruitment to the Centralised Services.

15. Marital Status.—A male candidate who has more than one wife living and a female candidate who has married a man already having a wife, shall not be eligible for recruitment to the Centralised Services:

Provided that the Government may, if satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any person from the operation of the provisions of this rule.

PART V—*Procedure for direct Recruitment*

16. Communication of the number of vacancies.—The Government shall determine and intimate to the Commission the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Clasess under rule 8.

17. Applications.—(*a*) The applications for recruitment to the Centralised Services shall be invited by the Commission and shall be made on the prescribed form which may be obtained from the Secretary to the Commission on payment and shall be submitted with in such time as may specified.

(*b*) Candidates already employed in the Centralised Services shall submit their applications through proper channel to the Government who shall forward them to the Commission alongwith their periodical reports.

18. Scrutiny of application interview, etc.—Recruitment to posts in the centralised Services shall be made on the basis of a competitive examination. The commission shall scrutinize the application receive and shall permit the eligible candidates to appear at the competitive examination. No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission granted by the commission.

After the marks obtained by the candidate in the written examination have been tabulated, the commission shall summon for personality test as many candidates as have shown their suitability for the Service in written examination. The marks awarded to each candidate at the personality test shall be added to the marks obtained by him in the written examination and the order of merit will be determined on the aggregate of both.

The Commission shall, subject to the provisions regarding the reservation of vacancies under rule 8, prepare a list of candidates arranged in order of preference and forward the same to Government. The number of names in this list shall be a little larger than the number of vacancies announced.

If two or more candidate obtained equal marks in the aggregate, the Commission shall arrange their names in order of merit on the basis of their general suitability for the Service.

19. Fees.—(1) Candidates for direct recruitment shall pay to the Commission and to the Medical Board such fees as may from time to time be prescribed by the Government. No claim for the refund of fees shall be entertained.

(2) The syllabus and the rules relating to the competitive examination will be prescribed from time to time by the Commission with the approval of Government.

20. Approved list.—On receipt of the list prepared by the Commission under rule 18, the Government shall subject to the provisions of rules 8, 11 and 21 have the names of the candidates entered in a waiting list in the same order in which they have been recomended by the Commission appointmetnt

PART VI—*Procedure for Promotion*

21. Promotions. -(1) Recruitment by promotion shall be made through a Selection Committee on the basis of seniority subject to rejection of unfit form amongst all eligible officers of the next lower grade of the same Centralised Service and for this purpose an eligibility list of officers shall be prepared in the manner laid down in sub-rule (2).

(2) Preparation of eligibility list Except otherwise provided in sub-rule (6) the Government shall prepare a list to be called the eligibility list of senior most eligible candidate containing names, so far as may be in the following proportion :

for 1 to 5 vacancies twice the number of vacancies subject to a minimum of 5—

for over 5 vacancies 1 1/2 (one and half times the number of vacancies subject to a minimum of 10 :

Provided that if recruitment is to be made for vacancies occurring during more than one year, separate eligibility list will be prepared in respect of each year. In such a case while preparing eligibility list for the second and subsequent years, the number of candidates to be included in the eligibility list shall be:

(*a*) for the second year the said proportion plus the number of vacancies in the first and second years;

(*b*) for the third year the number according to the said proportion plus the number of vacancies for the first and second years.

Provided further that candidates who are not considered suitable ***prima facie*** for promotion shall not be taken into account in calculating the said proporation and a note to the effect that they are not so considered shall be added against the names.

Explanation—In the rule "the number of vacancies" means the total number of substantive or temporary vacancies occurring during a year.

(3) The Selection Committee referred to in sub-rule (1) shall :

(*a*) In the case of promotions to class I and class II posts, be constituted as under—

(i) the Secretary to the State Government in the Urban Development Department ...*Chairman*.

(ii) the Secretary to the State Government in the Personnel Department or his nominee not below the rank of a Joint Secretaty. *Member*

(iii) the Director, Local Bodies, Uttar Pradesh .... *Member*.

(iv) if the officers referred to in sub-clauses (i) to (iii) do not belong to the Scheduled Castes or other Backward Classes one officer each belonging to the said castes or classes, as are not representing, shall be nominated by the Secretary to the State Government in the Urban Development Department from amongst the officers who are at least one scale higher to the post for which Selection Committee is to be constituted. *Members*.

(*b*) In the case of promotions to the posts other than those referred to in clause (*a*), be constituted as under—

(i) the Secretary to the State Government in the Urban Development Department or his nominee not below the rank of a Special Secretary. *Chairman*.

(ii) an officer nominated by the Secretary to the State Government in the personnel Department not below the rank of a Joint Secretary. *Member*.

(iii) the Director, Local Bodies, Uttar Pradesh. *Members*.

(iv) if the officers referred to in sub-clause (i) to (iii) do not belong to the Scheduled Castes, or other backward classes, one officer each belonging to the said Castes or classes, as are not representing shall be nominated by the Secretary to the State Government in the Urban Development Department from amongst the officers who are at least one scale higher to the post for which Selection Committee is to be constituted. *Members.*

(b) in the case of promotion to the posts other than those referred to in clause (a) be constituted as under :

(i) The Secretary to the State Government in the Urban Development Department Chairman or his nominee not below the rank of a special Secretary.

(ii) An officer nominated by the Secretary to the State Government in the personnal Department not below the rank of a Joint Secretary. *Member*

(iii) The Director, Local Bodies, Uttar Pradesh. *Member*

(iv) If the officers referred to in sub-section (i) to (iii) do not belong to the Scheduled Castes or other backward classes, one officer each belonging to the said Castes or classes as are not reparesenting shall be nominated by the Secretary to the State Govenmen in the Urban Development Department from amongst the officers who are at least one scale higher to the post for which Selection Committee is to be constitued. *Member*

(4) (i) The Government shall fix a date or dates for the meeting of the Selection Committee.

(ii) Where the Selection Committee considers it necessary that condidates on the eligibility list be interviewed by it may also interview the condidates.

(iii) The Selection Committee shall in each case consider the character rolls of the candidate and may consider any other factor found relevant in its opinion.

(5) The Selection Committee shall prepare two list in order of Seniority, namely :

List A—containing name of candidates recommended for permanent appointment against substantive vacancices;

List B—containing name of candidates recommended for temporary or officiating appintment :

Provided that if recruitment is to be made for vacancies occurred in more than one year, the selection in respect of each such year shall be made for the eligibility list prepared for that year.

(6) (a) (i) Candidates included in List A shall be appointed under sub-rule (1) of rule 22 against substantive vacancies in the order in which their names appear in the list.

(ii) Candidates included in List (A) for whom substantive vacancies are not immediately available, shall be appointed in the said order, against temporary or officiating vacancies in preference to those included in List B.

(iii) The names of the candidates included in List A for whom substantive vacancies cannot be found during the year for which their selection was made shall at the end of the year be carried over for appointment against the substantive post falling vacant in the subsequent year or shall be transferred to the top of list A, if any prepared and appreved to the subsequent year.

(b) Appointment from List B—Subject to the provisions of clause (ii) of sub-rule (6) candidates included in List B shall be appointed in the order in which their names appear in the List B against temporary vacancies after List A is exhausted. They may be appointed even against substantive vacancies but on a temporary basis. If at any time it appears to the appointing authority that an officer appointed from List B has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction such officer may be reverted to the post for which he was promoted, without assigning any reason.

PART VII.—*Appointment, Probation and Confirmation*

22. Appointment.—(1) On the occurrence of substantive vacancies, the Goverment shall make appintments to the Centralised Services for the list prepared under rule 20 and by promotion in accordance with the provisions of rule 21 :

Provided that in case where apointment made both by promotion and direct recruitment, the Government shall make appointment in such vacancies by taking candidates alternately so

far as this may be possible from the two lists of promoted and directly recruited candidates. Candidates shall be taken in the order in which they stand in the list and the first candidates taken shall be from the list of promoted candidates.

(2) The Government may also make appointment in temporary vacancies for a period exceeding six weeks from among the persons selected for promotion under rule 21 :

Provided that if no approved candidate is available for such appointment, the Government may appoint a candidate who is eligible under the rules for permanent recruitment to the Centralised Services. The appointments under this provision shall be subject to the provisions contained in the U. P. Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1954.

23. **Regularisation of ad hoc appointment**—Any person who :

(i) was directly appointed on *ad hoc* basis before October 1, 1986 and is continuing in service, as such on the date of commencement of these Rules :

(ii) possessed requisite qualification prescribed under rule 13 for regular appointment at the time of such *ad hoc* appointment; and

(iii) has completed or, as the case may be, after he has completed three years continuous service, shall be considered for appointment in permanent or temporary vacancy as may be available on the basis of his service record and suitability before any regular appointment is made in such vacancy in accordance with the provisions contained in these rules.

(2) In making regular appointment under these rules, reservations for the candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and other categories, shall be made in accordance with the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994 and orders of the Government in force at the time of recruitment.

(3) For the purpose of sub-rule (1) Government shall constitute a Selection Committee and consultation with the Commission shall not be necessary.

(4) The Director of Local Bodies shall prepare an eligibility list of the candidates, arranged in order of seniority as determined from the date of order of thier *ad hoc* appointment and if two or more persons are appointed together, from the order in which their names are arranged in the said appointments order. The list shall be placed before the Selection Committee along with their character rolls and such other service records, pertaining to them, as may be considered necessary to judge their suitability.

(5) The Selection Committee shall consider the case of the candidates on the basis of their records referred to in sub-rule (4).

(6) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates, the names in the list being arranged in order of seniority, and forward it to the Government and the Director of Local Bodies.

(7) The Government or the Director of Local Bodies shall, subject to the provisions of sub-rule (2) of this rule and sub-rule(1) of rule 6 make appointments from the list prepared under sub-rule (6) of these rules in the order in which their names stand in the list.

(8) Appointment made under sub-rule (7) shall be deemed to be made under relevant provision contained in rule 22.

(9) A person appointed under this rule shall be entitled to seniority only from the date of order of appointment after selection in accordance with this rule and shall in all cases, be placed below the persons appointed in accordance with the procedure for direct recruitment contained in Part V of these rules prior to the appointment of such person under this rule.

(10) If two or more persons are appinted together under this rule, their seniority *inter se* shall be determined in the order mentioned in the order of appointment.

(11) The services of a person, appointed on *ad hoc* basis who is not found suitable or whose case is not covered by sub-rule (1) of this rule, shall be terminated forthwith and, on such termination, he shall be entitled to receive one month's pay.

24. **Probation**—(1) A person on direct appointment to the Centralised Services in or against a substantive vacancy, shall be placed on probation for a period of two years.

Provided that continuous service rendered in an officiating and temporary capacity in a post included in the cadre of the Centralised Services may be allowed, in whole or in part, to be counted by the government towards the period of probation :

Provided further that the Government may, for sufficient reasons to be recorded in writing, extend the period of probation in individual cases, for a futher period not exceeding tow years any such order of extension shall specify the exact period for which the extension is granted.

(2) If during or at the end of the period of probation or extended period of probation, it is found that a person has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction as to the standared expected of him, his service may, if directly recruited be dispensed with without entitling him to any notice or compensation; or if appointed by promotion, reverted to the post from which he was promoted.

25. Confirmation.—A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of his period of probation or the extended period of probation, if his work and conduct are satisfactory and his integrity is certified.

26. Seniority.—Seniority on a post in the Centralised Services shall be determined by the date of substantive appointment provided that if two or more candidates are appointed from the same date. their seniority shall be determined according to the order in which their names appear in the list prepared under rules 20 and 21.

27. Transfer.—(1) The State government may transfer any of the Centralised Services from Nagar Palika or Jal Sansthan to other.

(2) A Palika or Jal Sansthan, as the case may be may seek the transfer of any officer in the Centralised Services by passing a special resolution to that effect by a majority of 2/3rd members constituting the Palika or Jal Sansthan, as the case may be.

PART VIII—*Other Provisions*

28. Pay and allowances.—The pay and allowance of the officers of the Centralised Service. as fixed by the State Government, shall be paid by the Palika or Jal Sansthan, as the case may be to the officers direct.

29. Pay during probation.—(i) A person on probation, if he is not already in the permanent service of a Palika or Jal Sansthan, as the case may be, shall draw during the period of probation, the minimum pay of the post for the first year and increments as they accure, provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, the extended period shall not acount for increment unless the competent authority so directs, but on conformation, he shall be allowed pay as would be admissible to him according to his length of service.

(2) The pay during the period of probation of a person who is already holding a substantive post in the service of a Palika or Jal Sansthan, as the case may be, before recruitment to the Centralised Services. shall be fixed in accordance with the relevant rules relating to the fixation of pay of the employees of the Palika or Jal Sansthan, as the case may be.

30. Criteria for crossing efficiency bars.—(1) No member of the Centralised Services shall be allowed to cross the first efficiency bar unless he is found to have worked satisfactorily and to the best of his ability and his integrity is certified to be above suspcion.

(2) No member of the Centralised Services shall be allowed to cross the second and subsequent efficiency bars unless he has given full satisfaction by his work, conduct, integrity and ability.

(3) Orders allowing the members of the Centralised Services to cross the efficieny bars shall be issued by the Goverment.

(4) On each occasion on which an emplyee is allowed to cross an effeciency bar, which has previously been enforced against him, his pay with effect from the date of crossing the bar shall be fixed in the time scale at such stage as he would have reached had he not been held up at the bar.

31. **Convassing.**—No recommendations for recruitment, either written or oral other than those required under these rules, shall be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support either directly or indiretly for his candidature by other means, shall disqualify him for apointment.

32. **Leave allowances, officiating pay, fees and honoraria.**—(i) Except as otherwise provided in these rules, all matters relating to leave and leave salary shall be regulated in the manner laid down in the leave rules applicable to the Government servants of like status and all amendments there together with all explanations and clarification issued from time to time shall *mutatis mutandis*, apply.

(ii) Grant of pay, including officiating pay and additional pay, special pay, honorarium, compensatory allowance, substance allowance and the acceptance of fees shall be regulated on the same terms and conditions as are applicable to the Government servants of the same status under the U.P. Fundamental and Subsidiary Rules contained in the U.P. Financial Hand Book, Volume II, Parts II-IV.

(iii) Except as expressly provided in these rules the provisions of the U. P. Fundamental and Subsidiary Rules contained in the Financial Handbook, Volume-II, Parts II-IV and travelling allowance rules contained in Financial Hand Book, Volume-III shall *mutatis mutandis*, apply.

NOTE—The corresponding authorities competent to exercise various powers under the said hand-books for purposes of these rules shall be such as Government may, by order, determine from time to time.

33. **Incidence of leave charges.**—The incidence of leave charges, transit pay and allowances including travelling allowance of an officer transferred for one Palika or Jal Sansthan, as the case may be, to another, will be regulated in accordance with the following principles—

(a) When an officer is transferred from one Palika or Jal Sansthan, as the case may be, to another, his transit pay and allowances including travelling allowances shall be borne by the Palika or Jal Sansthan, as the case may be, to which he is transferred ;

(b) Leave salary shall be borne by the Palika or Jal Sansthan, as the case may be, from where the officer proceeds on leave.

34. **Provident fund.**—Till such time as a common Provident Fund for all the Centralised services is established, the officers governed by these rules shall unless otherwise provided in these rules, continue to be governed by the Provident Fund Regulations or rule of the Palika or Jal Sansthan, as the case may be, in which he is posted for the time being :

Provided that notwithstanding anything contained in the regulation or the rules of such Palika or Jal Sansthan, as the case may be, the minimum amount of subscription to be made by the officer to the fund shall be an amount calculated at the rate of 6/¼ per cent of his emoluments which term shall mean pay, leave salary or subsistance grant as defined in Financial Hand Book Volume-II and the contribution there to be made by the Palika or Jal Sansthan, as the case may be, shall be at the rate of 6¼ per cent of the emoluments, both amounts being separately rounded to the nearest whole rupee (150 paise or more counting as the next higher rupee) :

Provided further that an officer, who was governed by any Pension and General Provident Fund Regulations or Rules of a Palika or Jal Sansthan, as the case may be, immediately before

his absorption in or appointment to the Centralised Services shall notwithstanding anything contained in these Rules, continue to be governed by such Pension or General Provident Fund Regulations or rules, as the case may be, in the following manner:

(i) The subscription on account of General Provident Fund of such an officer shall be deducted every month from his pay by the Palika or Jal Sansthan, as the case may be, in which he is posted for the time being;

(ii) The said Palika or Jal Sansthan, as the case may be, shall pay every month to the Palika or Jal Sansthan, as the case may be, in which such an officer was employed immediately before his absorption in or appointment to the Centralised Service, his subscription to the General Provident Fund and its Pensionary Contribution in respect of such officer for credit to the respective funds; and

(iii) The Palika or Jal Sansthan, as the case may be, where such an officer was employed immediately before his absorption or appointment shall be liable to pay the pension, gratuity and General Provident Fund to him after his retirement or the gratuity and family pension to the members of his family in accordance with the said penson and General Provident Fund Regulations or Rules, as the case may be.

35. Special provisions regarding provident fund.—Immediately upon transfer from one Palika or Jal Sansthan, as the case may be, to another otherwise than in a leave arrangement not exceeding 120 days a new Provident Fund Account shall be opened in the name of such officer under the Palika or Jal Sansthan, as the case may be, to which he has been transfered and the Mukhya Nagar Adhikari or the President or General Manager Jal Sansthan, as the case may be, from where he has been transferred shall within thirty days from the date of such transfer forward to the Palika or Jal Sansthan, as the case may be, to which he has been transferred a full and complete account of the Officer's Provident Fund and cause to be transferred his new account the amount standing to his credit in the old account along with interest calculated up to the month in which the account is so transferred. All further interest, on such amount as from the next succeeding month, shall be payable by the Palika or Jal Sansthan, as the case may be, where the new account has been opened.

(2) In circumstances other than whose mentioned in sub-rule (1), the Officer shall continue to subscribe to his existing Provident Fund and tender such further amounts as may be required of him in connection therewith and the Palika or Jal Sansthan, as the case may be, administering the Fund, shall continue to credit its own contribution thereto, and it shall be incumbent on the Palika or Jal Sansthan, as the case may be, to which the Officer has been transferred, to inform with all reasonable despatch the Palika or Jal Sansthan, as the case may be, from where the Officer has been transferred, the exact amount of his emoluments, intimation about every change therein shall similarly be sent promptly.

(3) The responsibility for payment upon an amount becoming due shall devolve on the Palika or Jal Sansthan, as the case may be, which is responsible for maintaining the Provident Fund for the time being.

36. Disciplinary proceedings.—(1) Subject to such modification, as the Government may make from time to time, the rules regarding disciplinary proceedings, appeals and representations against punishments, as are applicable to the Government servants, shall, apply to the Officers and other employees of the Service.

(2) The authority competent to impose any punishment, major or minor, on the Officers of the Centralised Services shall be the State Government.

Provided that the power to inflict any minor punishment shall also vest in the Mukhya Nagar Adhikari of the Corporation, President of the Municipal Council or General Manager of Jal Sansthan, as the case may be ;

Provided further that the power to inflict major or minor punishment on the Officers of Centralised Services in respect of whom power of appointment has been delegated to him by State Government, shall also vest in the Director Local Bodies:

Provided also that it shall be necessary to consult the Commission before passing an order for the dismissal or removal from service or reduction in rank in respect of any such officer.

(3) The power to suspend an Officer of the Centralised Services shall be exercised by the State Government only.

(4) In case where the disciplinary poceeding against an officer have been started by the President, Mukhya Nagar Adhikari or General Manager of Jal Sansthan, as the case may be, in accordance with the provisions of sub-rule (2) above ; and after the completion of enquiry he comes to a provisional conclusion that a penalty of dismissal or removal from service or reduction in rank is required he shall refer the case along with his findings and recommendation to the Government for final orders.

37. Age of retirement.—(1) Subject to the provisions of sub-rules (2) and (3), the age of retirement from service of all officers of the Centralised Services shall be sixty years beyond which no one shall ordinarily be retained in the service of the Palika.

(2) The Government may, at any time, by notice to any officer of the Centralised Services (whether permanent or temporary without assigning any reason require him to retire after he attains the age of fifty years, or such Centralised Services Officer may be noticed to the Government voluntarily retire at any time after attaining the age of fifty years after he has completed qualifying service for twenty years.

(3) The period of such notice shall be three months:

Provided that—

(a) any such Centralised Services Officer may be order of Government without such notice or by a shorter notice, be retired forthwith at any time after attaining the age of fifty years, and on such retirement the Centralised Services officer shall be entitled to claim a sum equivalent to the amount of his pay plus allowances, if any, for the period of the notice or, as the case may be for the period by which such notice falls short of three months, at the same rates at which he was drawing immediately before his retirement;

(b) it shall be open to Government to allow a Centralised Services Officer to retire without any notice or by a shorter notice;

Provided further that such notice given by the Centralised Services Officer against whom a disciplinary proceeding is pending or contemplated shall be effective only if it is accepted by Government provided that in the case of contemplated disciplinary proceeding the Centralised Services officer shall be informed before the expiry of his notice that it has not been accepted:

Provided also that the notice once given by a Centralised Services Officer under sub-rule (2) seeking voluntary retirement shall not be withdrawn by him except with the permission of Government.

(4) A retiring pension and other retirement benefits, if any, shall be avaliable in accordance with and subject to the provisions of the relevant rules applicable to every Centralised Services Officer who retires or is required or allowed to retire under this rule.

Explanation.—(1) The decision of Government under sub-rule (2) to require the Centralised Services Officer to retire as specified therein shall be taken if it appears to Government to be in public interest but nothing herein contained shall be construed to require any recital, in the order, of such decision having been taken in the public interest.

(2) Every such decision, shall unless the contrary is proved, be presumed to have been taken in the public interest.

(3) Every order of the Government requiring a Centralised Services Officer to retire forthwith under the proviso (a) to sub-rule (3) of this rule shall have effect from the afternoon of the date of its issue, provided that if after the date of its issue, the Centralised Services Officer concerned, *bona fide* and in ignorance of that order, performs the duties of his office, his acts shall be deemed to be valid notwithstanding the fact of his having earlier retired.

38. Extension in service.—Extension in service may be allowed to the Officers of the Centralised Services up to the age of 52 years for special reasons to be recorded by the Government:

Provided that no extension of service shall be granted:

(i) for any period exceeding one year at a time; and

(ii) unless the Officer concerned is physically fit and efficient.

39. Notwithstanding anything contained in these rules, where the Government is satisfied that the operation of any of the provisions of these rules causes undue hardship in any particular case, it may by order dispense with or relax the requirements of that provision to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

40. Delegation of powers and function.—The Government may delegate its powers and functions under these rules to the Director of Local Bodies or any other authority as it deems fit.

41. Constitution of Palika and Jal Sansthan Hill Sub-Cadre.—(1) Notwithstanding anything in these rules, there shall be separate Palika and Jal Sansthan Hill Sub-Cadre of the Centralised Services mentioned in column I of Schedule IV consisting of the posts mentioned against them in column II thereof.

(2) The incumbents of such posts shall, after their allocation to the said sub-cadre in accordance with rule 4, not be liable to be transferred outside the Hill districts, namely Almora, Chamoli, Dehra Dun, Naini Tal, Pauri, Pithoragarh, Tehri, Uttar Kashi and Udham Singh Nagar.

(3) The strength of Palika and Jal Sansthan Hill Sub-Cadre of each of the Centralised Service, referred to in sub-rule (1), shall be such as the Government may, from time to time fix by general or special order.

42. Allocation of Members of Service to Hill Sub-Cadre.—(1) The existing members of the Centralised Services serving on the posts mentioned in Column II of Schedule IV shall be required by the Appointing Authority to exercise their option within three months from the date of commencement of the Uttar Pradesh Palika and Jal Sansthan Water Works Engineering (Centralised) Services Rules, 1996 for allocation to Palika and Jal Sansthan Hill Sub-Cadre or for continuing in the General Cadre.

(2) Option once exercised shall be final and irrevocable.

(3) In case no option is exercised within the time specified in sub-rule (1), it shall be deemed that the member of the Centralised Service wants to remain in the General Cadre and does not want his allocation to the Palika and Jal Sansthan Hill Sub-Cadre.

(4) The appointing authority shall prepare a list of persons, who have exercised their option for allocation to the Palika and Jal Sansthan Hill Sub-Cadre, in accordance with the seniority of the persons as it stood in the Centralised Service.

(5) Allocation of persons to the Palika and Jal Sansthan Hill Sub-Cadre shall be made by the appointing authority in the order in which their names appear in the list prepared under sub-rule (4), and if the number of persons in such list is larger than the number of posts, the persons in excess of posts shall be placed in waiting list and shall be allocated to the Palika and Jal Sansthan Hill Sub-Cadre as and when vacancies occur therein.

43. Recruitment to Palika and Jal Sansthan Hill Sub-Cadre.—Recruitment to the posts in the Palika and Jal Sansthan Hill Sub-Cadre shall be made by direct recruitment or by promotion, as the case may be, in accordance with these rules:

Provided that where recruitment to any post falling in the Palika and Jal Sansthan Hill Sub-Cadre is to be made by promotion, separate eligibility list of the members of Palika and Jal Sansthan Hill Sub-Cadre shall be prepared and recruitment made therefrom;

44. Seniority of the persons of Palika and Jal Sansthan Hill Sub-Cadre.—The seniority of persons substantively appointed to the posts in a service in the Palika and Jal Sansthan Hill Sub-Cadre shall be determined in accordance with these rules.

45. Interpretation.—If any dispute or difficulty arises regarding interpretation of any of the provisions of these rules, the same shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final and conclusive.

46. Regulation of other matters.—In regard to the matters not specifically covered by these rules, persons appointed to the centralised services including the Palika and Jal Sansthan Hill Sub-Cadre, shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

47. Savings.—(1) Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes of citizens, in accordance with rule 3 and orders of the Government, issued in this regard from time to time.

Schedule I

[*See* Rule 6(1)(i)]

Name of Centralised Service	Name of the Post:
U. P. Palika and Jal Sansthan Water Works Engineering (Superior) Service.	(i) Nagar Abhiyanta (Jal) of Corporations. (ii) General Manager of Jal Sansthans. (iii) Executive Engineer.

Schedule II

[*See* Rule 6(1)(ii)]

Name of Centralised Service	Name of the Post
U. P. Palika and Jal Sansthan Water Works Engineering (Subordinate) Service.	Junior Engineer.

Schedule III

[*See* Rule 6 (1) (iii)]

Name of Centralised Service	Name of the Post
U. P. Palika and Jal Sansthan Water Works Engineering (Superior) Service.	Assistant Engineer.
U. P. Palika and Jal Sansthan Water Works Engineering (Subordinate) Service.	Junior Engineer Grade-I

Schedule IV

(*See* Rule 41)

(1) U.P. Palika and Jal Sansthan Water Works Engineering (Superior) Service.	(i) General Managers of Jal Sansthans. (ii) Executive Engineers of Jal Sansthans (iii) Assistant Engineers of Jal Sansthans.
(2) U.P. Palika and Jal Sansthan Water Works Engineering (Subordinate) Service.	(i) Junior Engineer Grade-I (ii) Junior Engineer.

By order,
R. B. BHASKAR,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—42—हिन्दी गजट, भाग 1-क, 1997 ई० ।

मुद्रक और प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।